

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

जिला हनुमानगढ


सीमा

बनाम

मुकेशकुमार आदि

किस्म मुकदमा : 53, 188 RTA

प्रकरण संख्या 723 / 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
13.09.2023	यह वाद पत्र वादीया की ओर से जरिये अधिवक्ता पेश किया गया । वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । प्रतिवादीगण की तलबी हेतु वकील वादीया रजिस्टर सम्मन पेश करे । पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादीगण दिनांक : 13/10/2023 को पेश हो ।	
13/10/23	<p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् जी.पी.ओ. साहब पत्रावली दि० 14/10/23 को पेश हो</p>	
19/10/24	<p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् जी.पी.ओ. साहब पत्रावली दि० 19/10/24 को पेश हो</p>	
9/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् जी.पी.ओ. साहब पत्रावली दि० 29/11/24 को पेश हो</p>	
29/11/24	<p>वकील पार्सि उपस्थित प्रतिवादी की सल्लो हेतु रजिस्टर सम्मन पेश नहीं किया गया पत्र पर उभावली दि 29/10/24 को पेश हो</p>	
29/10/24	<p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् जी.पी.ओ. साहब पत्रावली दि० 29/11/25 को पेश हो</p>	
29/11/25	<p>पत्रावली पेश हुई श्रीमान् जी.पी.ओ. साहब पत्रावली दि० 15/12/25 को पेश हो</p>	
7/12/25	<p>वकील वादीया के निवेदन पर पत्रावली पेश हुई वकील वादीया के निवेदन किया की इस पक्षकारन वा आपस में राजीनामा हो गया इसलिसे प्रार्थना पत्र नहीं चलना चाहत उपरिष्ठ करमात वादीया स्वयं के द्वारा वाद पत्राने के कारण खारिज किया जाता है दारिफ्त पत्राने के</p>	

उपखण्ड अधिकारी
नोहर